न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/449

1. नन्दा पुत्र छीत्या ।
2. कन्या पत्नी नन्दा ।
3. बिरधा पुत्र छीत्या ।
4. बलफा उर्फ रामबल्लभ पुत्र छीत्या सभी जाति माली निवासीगण ग्राम देवपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मु0 पुष्पा देवी पुत्री गोरधन जाति माली पत्नी आनन्दीलाल निवासी देवपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. रामनिवास आयु 66 वर्ष पुत्र स्व0 आनन्दीलाल जाति माली ।
   1/2. चन्द्रभान आयु 55 वर्ष पुत्र स्0 आनन्दीलाल जाति माली ।
   1/3. रामचरण आयु 45 वर्ष पुत्र स्व0 आनन्दीलाल जाति माली ।
   1/4. गीता बाई पुत्री स्व0 आनन्दीलाल जाति माली निवासीगण देवपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
   1/5. छान्या बाई पुत्री स्व0 आनन्दीलाल पत्नी नामालूम जाति माली निवासी कोयला तहसील व जिला बून्दी ।
2. लुकमान पुत्र शमशुद्दीन जाति मुसलमान निवासी करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. मुस0 अमरी पत्नी छोटूलाल जाति माली पुत्री छीत्या निवासी डांगरवाडा ।
4. ज्याना पत्नी गोमदा माली पुत्री छीत्या निवासी उजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. पार्वती पत्नी बिशनलाल माली पुत्री छीत्या निवासी निमोला तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. ग्यारसी पत्नी राजेन्द्र माली पुत्री छीत्या निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 25.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 08.09.2003 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 मु0 पुष्पा ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम देवपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा नम्बर 38 की रकबा 20 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 153 की रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 154 की 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 की 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 162 की 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 की 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 की 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 174 की 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 175 की 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 149/199 की 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 149/200 की 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 149/201 की 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 149/202 की 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 153/205 की 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 154/206 की 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 141/211 की 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 169/212 की 01 बिस्वा कुल किता 17 की कुल रकबा 32 बीघा 11 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादिनी के खातेदारी की भूमि है । उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 161 की 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 162 की 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 की 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 169/212 की 01 बिस्वा आराजी की दक्षिणी मेड प्रतिवादी कम 01 के खेत की उत्तरी मेड से लगी हुई है । वादपत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि में से खसरा नम्बर 162 की रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 168 की 01 बीघा 01 बिस्वा आराजी के बाद सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 290 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 की रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 की 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 की रकबा 0.06 हैक्टर कायम किये तथा सेटलमेंट ने उक्त भूमि वादिनी के खाते दर्ज नहीं कर उक्त भूमि प्रतिवादी कम 01 के खाते में दर्ज कर दी । प्रतिवादीगण एक ही पारिवार के सदस्य हैं जिन्होंने एक गिरोह बनाकर वादिनी की आराजी से वादिनी को बेदखल करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वादिनी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादिनी के खाते की आराजी जो सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी आदेश के वादिनी के खाते से कम कर दी गई खसरा नम्बर 290 की 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 की रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 की 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 की रकबा 0.06 हैक्टर को प्रतिवादीगण के खाते से हटाया जाकर वादिनी के खाते दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिनी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 परीक्षण न्यायालय में उक्त वाद के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अपने पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.02.1984 के द्वारा प्रार्थिया के पक्ष में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी तथा अपने दिनांक 23.11.1984 के द्वारा उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का कंफर्म कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.1984 के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 27.10.1990 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.1984 को बहाल रखा । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.90 के विरूद्ध

अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में गिगरानी प्रस्तुत की गई । जिसे न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 22.05.1995 के द्वारा खारिज करते हुए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय 27.10.1990 को बहाल रखा । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.1984 बहाल रहा ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.05.2002 के द्वारा प्रतिवादी कम 01 छीत्या की मृत्यु हो जाने से एवं वादी द्वारा मृतक छीत्या के कायममुकाम को रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद का उपशमन होना मानते हुए खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2002 से व्यथित होकर वादी मु0 पुष्पा ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 26.11.2002 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दी ।

6. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2002 की पालना में परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया ।

7. प्रार्थिया मु0 पुष्पा बाई ने दिनांक 28.08.2003 को परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि प्रार्थिया ने परीक्षण न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था । उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थिया के पक्ष में दिनांक 23.11.1984 को निर्णित कर दिया । उक्त आदेश की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष पेश की गई जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने आदेश दिनांक 27.10.1990 को खारिज कर दिया । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.1990 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.1995 को खारिज कर दी । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.1984 अंतिम रहा । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश कमांक 97/68687 दिनांक 22.09.1997 की पालना में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 290 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 295/357 रकबा 0.02 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर पर पुनः प्रार्थिया को दखल दिया गया । अप्रार्थीगण उक्त भूमि से प्रार्थिया का जबरन ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते हैं । प्रार्थिया द्वारा दिनांक 18.07.2003 को परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अप्रार्थीगण को पाबन्द करने का आदेश पारित किया । इसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण प्रार्थिया के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमया जाकर थाना प्रभारी इटावा को आदेशित किया जावे कि वे प्रार्थिया के कब्जे काश्त की आराजी से प्रार्थिया को किसी भी रूप में बेदखल नहीं करें ।

8. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.03.2009 के द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2009 के व्यथित होकर अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय राजस्व

मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की । जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 01.10.2019 के द्वारा निगरानी मण्डल में संधारण योग्य नहीं होने के आधार पर अभिलेख लौटाने का आदेश पारित किया और प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में संधारण योग्य मानते हुए खारिज कर दी ।

9. अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2009 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का मूल खातेदार हरदेवा था जिससे उक्त आराजी पूर्व खसरा नम्बर 161, 162, 168, 1692/212 को छीत्या द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 27.05.1959 को कय कर कब्जा प्राप्त किया गया है । उक्त आराजी को सेटलमेंट में सही रूप से छीत्या के खाते दर्ज किया गया था । अपीलान्टगण छीत्या के वारिसान हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2009 त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2009 निरस्त फरमाया जावे ।

10. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट गॉव के व्यक्ति है तथा कानून के मामले में अनभिज्ञ हैं । अपीलान्ट कानून के जानकारों से सलाह लेकर तथा अजमेर में अपने अभिभाषक से बात कर उक्त अपीलाधीन आदेश की निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में कर दी थी । उक्त निगरानी में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने लगभग 16 वर्ष बाद दिनांक 01.10.2019 को यह कहते हुए कि चूँकि उपखण्ड अधिकारी के यहॉ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जिसके खिलाफ प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत संधारण योग्य है । इस प्रकार अपीलान्टगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की दिनांक 21.10.2019 को प्राप्त होने के उपरान्त यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

11. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

12. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादिनी रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा अपीलान्ट खातेदारान के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय में वाद पेश कर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 290, 292, 293 एवं 294 की आराजी को अपने खाते की आराजी बताकर उक्त आराजी के सम्बन्ध में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया जिसमें परीक्षण न्यायालय ने बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये रेस्पोडेन्ट कम 01 के पक्ष में दिनांक 10.02.1984 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी तथा दिनांक 23.11.1984 को उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म कर दिया गया । उक्त वाद में छीत्या की मृत्यु हो जाने पर छीत्या के कायममुकाम नहीं बनाने से बाद अबेटमेंट के आधार पर खारिज कर दिया । वाद खारिज होते ही अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही खारिज हो गया था । प्रार्थिनी ने उक्त अबेटमेंट के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 26.11.2002 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण

न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया । तत्पश्चात् परीक्षण न्यायालय ने पुनः वाद दर्ज रजिस्टर किया । प्रार्थिया द्वारा परीक्षण न्यायालय में दिनांक 28.08.2003 को धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.09.2003 के द्वारा स्वीकार करते हुए प्रार्थिया के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी । वादग्रस्त आराजी का मूल खातेदार हरदेवा था जिससे उक्त आराजी पूर्व खसरा नम्बर 161, 162, 168, 1692/212 को छीत्या द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.05.1959 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है । उक्त आराजी सेटलमेंट में सही रूप से छीत्या के खाते दर्ज की गई थी। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 द्वारा जो वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई थी उसमें कहीं भी यह नहीं बताया कि वह उक्त आराजी की खातेदार कैसे है, उक्त आराजी कहॉ से उसके खाते आई और वह उक्त आराजी की कैसे मालिक है । इन समस्त तथ्यों को परीक्षण न्यायालय द्वारा नजरअन्दाज किया गया है । वादिनी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 स्वयं अपने दावे की मद संख्या 02 ए में यह कह कर आई है कि उक्त आराजी सेटलमेंट अधिकारियों ने प्रतिवादीगण के खाते दर्ज कर दी है । वादिनी यदि उक्त आदेश से प्रभावित थी तो उन्हें उक्त आदेश की अपील करनी चाहिए या इन्द्राज दुरूस्ती, का वाद करना चाहिए था लेकिन उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया बल्कि उक्त वाद 118 में यह रिलीफ मांग रही है कि उक्त आराजी प्रतिवादी के खाते से हटाई जाकर वादिनी के खाते में दर्ज की जावे । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज है । वर्तमान में खसरा नम्बर 290 की आराजी का खातेदार नन्दलाल पुत्र छीत्या है तथा खसरा नम्बर 292 का खातेदार बल्लभ उर्फ रामबल्लभ पुत्र छीत्या है तथा खसरा नम्बर 293 व 294 का खातेदारी बिरधीलाल पुत्र छीत्या है । दावा दायरी के समय प्रार्थिनी वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक नहीं थी उसे धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद लाने का अधिकार नहीं था । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2003 निरस्त फरमाया जावे ।

13. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम देवपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा नम्बर 38 की रकबा 20 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 153 की रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 154 की 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 की 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 162 की 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 की 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 की 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 174 की 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 175 की 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 149/199 की 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 149/200 की 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 149/201 की 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 149/202 की 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 153/205 की 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 154/206 की 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 141/211 की 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 169/212 की 01 बिस्वा कुल किता 17 की कुल रकबा 32 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के खातेदारी की भूमि है । उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 161 की 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 162 की 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 की 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 169/212 की 01 बिस्वा आराजी की दक्षिणी मेड प्रतिवादी क्रम 01 के खेत की उत्तरी मेड से लगी हुई है । वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 162 की रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 168 की 01 बीघा 01 बिस्वा आराजी के बाद सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 290 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 की रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर

293 की 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 की रकबा 0.06 हैक्टर भूमि सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त भूमि अप्रार्थीगण अपीलान्ट के खाते में दर्ज कर दी । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश क्रमांक 97/68687 दिनांक 22.09.1997 की पालना में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 290 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 295/357 रकबा 0.02 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर पर पुनः प्रार्थिया को दखल दिया गया । अप्रार्थीगण उक्त भूमि से प्रार्थिया का जबरन ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते हैं । प्रार्थिया द्वारा दिनांक 18.07.2003 को परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अप्रार्थीगण को पाबन्द करने का आदेश पारित किया । इसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण प्रार्थिया के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे हैं । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2003 बहाल रखा जावे ।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

15. न्यायालय में वाद पेश कर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 290, 292, 293 एवं 294 की आराजी को अपने खाते की आराजी बताकर उक्त आराजी के सम्बन्ध में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया जिसमें परीक्षण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के पक्ष में दिनांक 10.02.1984 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी तथा दिनांक 23.11.1984 को उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म कर दिया गया । उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा के विरूद्ध अपील दिनांक 27.10.1990 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा खारिज की गई तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 22.05.1995 को निगरानी खारिज की गई । इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 23.11.1984 बहाल रखा । उक्त वाद में छीत्या की मृत्यु हो जाने पर छीत्या के कायममुकाम नहीं बनाने से बाद अबेटमेंट के आधार पर दिनांक 15.05.2002 के द्वारा वाद खारिज कर दिया । प्रार्थिनी ने उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 26.11.2002 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.05.2002 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया । तत्पश्चात् परीक्षण न्यायालय ने पुनः वाद दर्ज रजिस्टर किया । प्रार्थिया द्वारा परीक्षण न्यायालय में दिनांक 28.08.2003 को धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.09.2003 के द्वारा स्वीकार किया । धारा 151 सीपीसी दिनांक 28.08.2003 में मूल अनुतोष प्रार्थिया के कब्जे काश्त व खाते की भूमि से बेदखल नहीं करने का चाहा गया था । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का मूल कथन एवं तर्क यही है कि चूँकि

पूर्व में मूल वाद दिनांक 15.05.2002 को वादी छीत्या की मृत्यु हो जाने के कारण तथा उनके वारिसान द्वारा उन्हें रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर उक्त वाद को अबेट होना मानते हुए खारिज किया जा चुका है । अतः उसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जारी आदेश भी समाप्त हो चुका है । परन्तु विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि चूँकि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2002 से परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.05.2002 को अपास्त कर पुनः दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं । चूँकि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 15.05.2002 को निरस्त कर दिया गया है, अतः वाद के साथ पूर्व जारी अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पुनः अस्तित्व में आ गया । अतः पूर्व में दिनांक 23.11.1984 को जारी धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा भी लागू हो गई । उसी संदर्भ में अप्रार्थीगण को पाबन्द करने हेतु अनुतोष धारा 151 सीपीसी के तहत चाहा गया । अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2003 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की तथा उक्त निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया गया तथा माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 01.10.2019 में अंकित किया है कि "चूँकि उपखण्ड अधिकारी ने मूल दावा अबेट के आधार पर खारिज किया था जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने पूर्ण निर्णय हेतु रिमाण्ड किया है । इसलिए मूल दावे के खारिज होने से दावे में जारी टी0आई0 भी खारिज हो गई किन्तु दावे के पुनः जीवित होने से टी0आई0 भी ओटोमेटिक जीवित हो जाती है ।" यह बहुत महत्वूपर्ण है। उपर्युक्त विवेचन से विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के कथन से सहमत हैं । अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय में धारा 151 के तहत रेस्पोडेन्ट को जो अनुतोष दिया गया है, वह उचित है । प्रस्तुत प्रकरण में उपर्युक्त स्थिति में हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2003 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा